



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1940 (श10)
(सं0 पटना 155) पटना, वृहस्पतिवार, 31 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2019

अधिसूचना संख्या 1/2019-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 27, दिनांक 31 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 8/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-551, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करते हैं।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 27, दिनांक 31 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 01)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st January 2019***Notification no. 1/2019- State Tax (Rate)***

S.O. 27, Dated 31st January 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby rescinds Commercial Taxes Department notification No. 8/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 551, dated the 29th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 01)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 155-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>